राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2236/2012/अलवर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर,
प्रतिकरापवंचन, भिवाडी, अलवर। ......अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मैक बियरिंग प्रा.लि.,
जी–949 फेस–III, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाडी, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रागकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री डी.कुमार,
अभिभाषक .... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 33/आरवेट/2011–12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 24.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25 एवं 61 के तहत् आरोपित कुल शास्ति रूपये 6,834/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपायुक्त (प्रशासन), अलवर के निर्देशानुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी द्वारा दिनांक 07.09.2010 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया, एवं लेखा–पुस्तको की जांच कर पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी ने पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 09.03.2010 से 06.09.2010 तक की अवधि में बियरिंग कम्पोनेन्ट्स की बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर जमा कराया है, जबकि 5 प्रतिशत कर दर प्रभावी है। अतः धारा 25 में अन्तर कर का निर्धारण एवं विधिक प्रावधानों का उल्लंघन होने से कर कम जमा करवाने पर धारा 61 का उल्लंघन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा कुल शास्ति रूपये 6,834/– आरोपित की

लगातार..................2

गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24.04.2012 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि जानकारी के अभाव में भूलवश आलोच्य अवधि की बियरिंग कम्पोनेन्ट्स की बिक्री पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से कर जमा कराया गया है, पता लगते ही अन्तर कर राशि जमा करा दी गई। आलोच्य अवधि के किसी भी संव्यवहार को अपने नियमित लेखा–पुस्तकों एवं विभाग में प्रस्तुत दस्तावेजों से नहीं छिपाया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सर्वेक्षण के पश्चात् जब सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को जानकारी हुई कि बियरिंग कम्पोनेन्ट्स की बिक्री पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय होता है, तो प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अन्तर 1 प्रतिशत कर दर से राशि राज्य कोष में जमा करवा दी है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के किसी भी संव्यवहार को अपने नियमित लेखा–पुस्तकों एवं विभाग में प्रस्तुत दस्तावेजों से नहीं छिपाया है। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के दोषी मनोभाव को स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष